न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 2839 सन् 2026,

1. शाहिद अली पुत्र भोलू, निवासी म.नं. ए–61, एस./एफ, मैन शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद
2. पवन कुमार पुत्र रामानन्द, निवासी ए–44 मैन शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद
3. मौ० आरिफ पुत्र शेर अली, निवासी ए–874 शालीमार गार्डन, एक्स–1 साहिबाबाद, गाजियाबाद। .....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः– 733 सन् 2025,

(दाण्डिक वाद संख्याः– 448 सन 2026)

अन्तर्गत धाराः–419, 420, 465, 467, 468, 471, 392, 364 भा.द.सं.

थानाः–सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर।

–::निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रः:–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उनके द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है।

02. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उपरोक्त अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण को झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब तीन वर्ष के विलम्ब से दर्ज कराई गई है और देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही दिया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने किसी के साथ कभी कोई जालसाजी या धोखा धड़ी नही की और ना ही लूट से घटना को अंजाम दिया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को तंग व परेशान करने की गरज से उक्त मामले में झूठा फंसा दिया है। दिनाँक 02.09.2021 को ही वादनी मुकदमा के पति अब्दुल वाहिद द्वारा आवेदकगण के पक्ष में 1/3–1/3 भाग प्रत्येक के लिये रजिस्टर्ड सेल डीड की गई थी। आवेदकगण द्वारा मु.अ.सं.–457/2022, धारा 420,406 भा.द.सं. व मु.अ.संख्या 378 सन् 2022, धारा 307, 506 भा.द.सं. दर्ज कराया गया था। वादिनी के पति द्वारा पुलिस से साज कर अंतिम रिपोर्ट लगवा दी थी जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त एफ.आई. आर. में वादनी मकदमा द्वारा आई–10 कार भी छीननी दर्शायी गयी है जिसकी आज तक कोई एफ0 आई0 आर0 वादिनी व उसके पति द्वारा कही कोई दर्ज नही करायी गयी है बल्कि उपरोक्त कार थाना कोतवाली मुरादनगर गाजियाबाद में दिनाँक 18.10.2025 से थाने पर खड़ी है। उपरोक्त अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एप्लीकेशन अन्डर सैक्सन अन्तर्गत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 संख्या 16208 सन् 2026 दायर की जिसमें पारित आदेश दिनाँक 20.05.2026 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डिसमिस कर दिया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी स्वतन्त्र सक्ष्य नही है। आवेदकगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की है।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.30 16:11:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

04. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रूखसार ने थाना हाजा पर इस आशय की सूचना दी कि उसके पति अब्दुल वाहिद की एक फैक्ट्री ए/1/1 जोखाबाद, इन्डस्ट्रियल एरिया सिकन्द्राबाद में है। पवन कुमार, शाहिद अली व मौहम्मद आरिफ ने उसके पति की फैक्ट्री को जबरदस्ती हड़पने की नीयत से एक फर्जी एग्रीमेन्ट नॉटरी द्वारा तैयार कराये जिसे तैयार कराने में शाहिद अली के साले बबी, सईद, सकील जो शाहिद अली के बुआ के लड़के हैं तथा आकिल जो पवन का पार्टनर है। शोएब व आस मौहम्मद का पूर्ण सहयोग है क्योंकि उसके पति द्वारा अपनी फैक्ट्री बेचने से इन्कार करने पर इन लोगों ने उसके पति का दिनांक 05.05.2022 को जबरदस्ती अपहरण कर उत्पीड़न किया परन्तु उसके पति ने फैक्ट्री की रजिस्ट्री नहीं की। दिनांक 06.05.2022 को उसकी आई.10 कार नं.डी.एल.5सी.6162 जबरदस्ती छीन ली जो बरामद नहीं हुई। इन सभी लोगों ने एकराय होकर साज करके फर्जी एग्रीमेन्ट तैयार किया तथा उस पर उसके पति के फर्जी हस्ताक्षर कराये तथा उसके पति को धनराशि देना दर्ज कराया जबकि किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं हुआ है। पवन कुमार ने डेब्रस रिकवरी ट्रिबुनल में दावा उसके व उसके पति के विरुद्ध दायर किया जिस पर उसके पति ने हस्तलेख विशेषज्ञ से एग्रीमेन्ट पर हुये हस्ताक्षरों की जांच कराई तो फर्जी पाये गये। उसने ट्रिबूनल में ऐतराज किया तो पवन ने दावा वापस ले लिया जिससे क्षुब्ध होकर पवन, बेबी व अन्य साथियों ने उसके पति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा ई जो विवेचना में झूठी पाई गई तथा अन्तिम आख्या लगी। पवन कुमार ने बैंक में एक करोड़ रूपये जमा कराये जिन्हें बैंक ने वापस नहीं किया। पवन व उक्त सभी मुल्जिमान जबरदस्ती लोगों से जमीन हड़पते हैं तथा भूमाफिया हैं। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए यह कथन किये गये हैं कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण की अपराध में सक्रिय भूमिका है तथा आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया के पति वाहिद की फैक्ट्री को जबरदस्ती बेईमानीपूर्वक हड़पने की नीयत से एक फर्जी एग्रीमेन्ट नोटरी द्वारा तैयार किया गया, एग्रीमेन्ट पर वादिया के पति वाहिद के फर्जी हस्ताक्षर किये व फर्जी तरीके से वादिया के पति वाहिद को रूपये देना दर्ज करना तथा वादिया की कार आई–10 को लूट लिया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/ अभियुक्तगण तथा सह अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–21842 सन 2025 पवन कुमार एवं आठ अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनॉकित–14.11.2025 द्वारा आवेदकगण/ अभियुक्तगण तथा अन्य सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफतारी पर अग्रिम तिथि पर उक्त याचिका के सूचीबद्ध होने तक के लिये रोक लगायी थी। कालान्तर में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनॉक–08.1.2026 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफतार नहीं किया गया है। इस स्तर पर अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि इस स्तर पर अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूँछतॉछ की जानी है अथवा किसी वस्तु या सम्पत्ति की बरामदगी किया जाना शेष है। प्रकरण में आरोप पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने के पश्चात मामला विचाराधीन है। विचारण में समय लगने की संभावना है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है। तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
02. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।
03. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।
04. आवेदकगण/अभियुक्तगण आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेंगे,
05. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0 की धारा 313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0 की धारा 313 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
06. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा आवेदकगण आदेश की दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस आदेश के अनुक्रम में जमानतनामे निष्पादित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा पृथक–पृथक रूप से 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 30.06.2026
शिवम गौड़–पी.ए.

आई0डी0 क्रमांक–यू0पी0–2015